आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
9/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 43/12** **अशर्फी राय बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 3762 दिनांक 31.12.10 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 2.11.10 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तरैया एवं अमनौर) के द्वारा अशर्फी राय, जपिप्रवि, अनुज्ञप्ति सं0 56/07, ग्राम–ढोलाही, पंचायत–ढोलाही, थाना+प्रखंड–अमनौर की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है: 1. जॉच के क्रम में विक्रेता की दूकान विना पूर्व सूचना के बंद पायी गई। 2. जॉच के क्रम में विक्रेता से संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा लिखित रूप से बयान दिया गया कि विक्रेता द्वारा एक कूपन लेकर दो लीटर ही किरासन तेल दिया जाता है एवं निर्धारित दर से अधिक राशि यानि पन्द्रह रूपये प्रति लीटर वसूल की जाती है। 3. जॉच के क्रम में विक्रेता से संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया कि विगत एक वर्षों से अन्त्योदय योजना एवं बी.पी.एल. योजना का खाद्यान्न वितरण नहीं किया है। 4. विक्रेता के अनुपस्थित रहने के कारण भंडार का सत्यापन एवं कागजातों की जॉच नहीं हो सकी। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3149 दिनांक 2.11.10 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत	

किया गया, लेकिन विकेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता की अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए रद्द के विरूद्व द्वितीय कारणपृच्छा (ज्ञापांक 3195 दिनांक 9.11.10) एवं मूल भंडार पंजी, वितरण पंजी एवं अन्य कागजातों के साथ विकेता को स्वयं अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 15.11.10 को उपस्थित होने का निदेश दिया गया, परन्तु विकेता उपस्थित नहीं हुए। निबंधित डाक से द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब विकेता के द्वारा भेजा गया, जो कार्यालय को दिनांक 22.11.2010 को प्राप्त हुआ। द्वितीय कारणपृच्छा में अनुलग्नक के रूप में भंडार पंजी एवं वितरण पंजी संलग्न करने की बात कही गयी है, जबकि निबंधित पत्र के लिफाफे में द्वितीय कारणपृच्छा के अतिरिक्त कोई कागजात नहीं होने का प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश में अंकित है। विकेता के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के साथ प्रस्तुत कागजातों तथा जॉच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन एवं विश्लेषणोपरान्त बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001, बिहार राज्य कूपन योजना 2006, अनुज्ञप्ति की शर्तों, विभागीय दिशा निर्देशों के उल्लंघन एवं जन वितरण प्रणाली की सामग्री के उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरतने के आलोक में विकेता की अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलवर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि जॉच की तिथि को विकेता अपने घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी दूकान खुली थी। उनके द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण किया जाता है। जनवरी 2010 से अक्टूबर 2010 तक बी.पी.एल योजना के खाद्यान्न का तीन बार ही उठाव किया गया था। माह मार्च में केवल चावल मिला था। सितम्बर माह में पूरे आवंटन का ड्रॉफ्ट लगाने के बावजूद राज्य खाद्य निगम से कम मात्रा में आवंटन दिया गया था, जिससे सभी उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सका। यह भी बतलाया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता को जवाब देने के लिए जॉच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करायी गयी थी और न ही शिकायत करने वाले व्यक्तियों का नाम एवं उनसे संबंधित पूर्ण विवरणी ही दिया गया था। विकेता के विरूद्व लगाए गए आरोपों के समर्थन में किसी साक्ष्य की प्रतिलिपि भी उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, इसलिए प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विकेता के विरूद्व की गयी जॉच एवं निर्गत आदेश विधि–सम्मत् नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ

अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अपीलार्थी के विरूद्व जिन उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी, उनका नाम अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारणपृच्छा में या अपने आदेश में अंकित नहीं किया गया है, जिससे उनके द्वारा पारित आदेश मुखर आदेश नही हो पाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता के द्वारा अपने जवाव के साथ संलग्न कागजातों का सम्यक परिसीलन नहीं किया गया है। अतः ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1040 /न्या०, दिनांक 12/12/14

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण को इस जिले के website पर upload करने के लिए प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
12/12/14